

राजस्थान सरकार
निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—पं 5 (224) निपेंवि/नियम/2006/पार्ट 1488-1687 H दिनांक:—30.06.2016

समस्त विभागाध्यक्ष,
.....
.....

परिपत्र

प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में आयोजित पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवाही विवरण के बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत पेंशनर का मोबाईल नम्बर उपलब्ध होने पर पेंशन प्रकरण प्राप्त होने, कमी पूर्ति हेतु लौटाने, अधिकृतियां जारी होने का संदेश भेजने की व्यवस्था करना विचाराधीन है। इस संबंध में लेख है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग में भिजवाने से पूर्व पेंशन कुलक/कवरिंग लैटर में पेंशनर के मोबाईल नम्बर अंकित करना सुनिश्चित करावे। इस संबंध में आपको इस विभाग के समसंख्यक पत्रांक 1693-1850 एच दिनांक 29.07.2015 से भी लिखा जा चुका है।

भवदीय,

(के.के. गैडियोक)
निदेशक

क्रमांक:—पं 5 (224) निपेंवि/नियम/2006/पार्ट 1488-1687 H दिनांक:—30.06.2016
प्रतिलिपि:—

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त/ अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्र 0 का0 अजमेर/ बीकानेर/ भरतपुर/ जोधपुर/ उदयपुर/ कोटा/ जयपुर
4. समस्त उपनिदेशक/ सहायक निदेशक/ सहायक लेखाधिकारी, पी.आर.अनुभाग कार्यालय, हाजा।
5. एसीपी कम्प्यूटर शाखा को वेबसाइट पर डालने हेतु।

निदेशक